<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :— उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 10/2017

कैलाश पुत्र श्रवणराम जाति मीणा निवासी ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील व जिला झुंझुनू
—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झुंझुनू जिला झुंझुनू।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 26.09.2016 बअदालत तहसीलदार झुंझुनू उनवानी राजस्थान सरकार बनाम कैलाश मु.न. 175/2015 अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थित :—

1. श्री अमित शर्मा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक 29.01.2021

[illegible] पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनू के निर्णय दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध [illegible] प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 [illegible] पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से [illegible] दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है :— अपीलान्ट ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 0.85 [illegible] खसरा नम्बर 118/3/2) में अतिचारी नहीं है, बल्कि पट्टाधारी है एवं उसका [illegible] कब्जा है। ग्राम अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 233 [illegible] राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या 5/12/राज./ग्रुप—4/78/12 के अनुसार जिला [illegible] झुंझुनू के आदेश दिनांक 18.02.1983 द्वारा आबादी भूमि विस्तार किया गया था। यह [illegible] भू राजस्व अधिनियम के अनुसार किया गया था। इस आदेश की अनुपालना [illegible] द्वारा अपीलान्ट को वर्तमान खसरा नम्बर 233 में भूखण्ड का पट्टा क्रमांक [illegible] जारी किया गया था, जिस पर विधिक रूप से पट्टा [illegible] कर अपीलार्थी काबिज है। [illegible] राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि धारा 91 भू [illegible] अधिनियम में कार्यवाही अतिक्रमी के विरुद्ध की जा सकती है परन्तु पट्टेधारी के [illegible] नहीं की जा सकती। (2006(1) डी.एन.जे.(राज) 184)। न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू [illegible] न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय है एवं तहसीलदार झुंझुनू द्वारा जिला कलेक्टर झुंझुनू [illegible] दिनांक 18.021983 को निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट विवादित भूखण्ड [illegible] पट्टा प्राप्त कर गत 30 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है तथा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है यथा :–

1. पत्रावली परीक्षण में यह तथ्य उजागर हुआ है कि उक्त आवंटन आदेश दिनांक 18.02.1983 में कांट–छांट है एवं साथ ही, तथाकथित पट्टा 10गज X 15गज अर्थात 250 वर्गगज का बताया है, जबकि अतिक्रमित भूमि का रकबा 400 वर्गमीटर है। जिसकी बाबत अपीलार्थी ने कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
2. अपील में अपीलान्ट का मुख्य तर्क यह रहा है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की भूमि पर काबिज है तथा 30 वर्षो से वह विवादित आराजी पर आबाद है। इस तर्क के समर्थन में अपीलार्थी ने नजीर (2006)1 डी.एन.जे. 164 हुकम सिहं बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत की, जिसके अनुसार The powers under Section 91 of the Act of 1956 can be exercised only against the trespassers. The petitioners being in possession of the land in dispute in view of the pattas issued by the Gram Panchayat cannot be held trespassers. As such the proceedings initiated under Section 91 of the Act of 1956 are absolutely without jurisdiction. अपीलार्थी को जारी पट्टा जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश क्रमांक एफ2(3)राज/83 दिनांक 18 फरवरी 1983 की पालना में दिया गया है। उक्त आदेश में आबादी हेतु आवंटित भूमि की किस्म जोहड़ दर्ज है। अदालत मातहत ने अपने आदेश में अतिक्रमण की गई भूमि को आबादी हेतु आवंटित की गई भूमि से अलग माना है। जिससे हम सहमत है क्योंकि आवंटन की गई भूमि जोहड़ थी तथा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकीन चारागाह है। इससे यह तथ्य तो साफ है कि अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की भूमि अलग है तथा वर्तमान में किये गये अतिक्रमण कि भूमि अलग है। अपीलार्थी ने गैर मुमकीन चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया है जो राजकीय भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, जिसका वर्तमान में आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त तर्को की परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन आवेदन पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत यह निर्णय इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 23.01.2020 के अनुसार विधिक प्रकिया अपना कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.04 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

(उमरदीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

29/01/21